नारियल विकास बोर्ड COCONUT DEVELOPMENT BOARD

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India

जव खाद उत्पादन इकाई के लिए वित्ताय सहायता हतु आवदन पत्र																	
APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR ORGANIC MANURE PRODUCTION UNIT																	
	आवेदक का नाम																
1	Name of the Applicant (बड़े अक्षरों में																
	IN BLOCK LETTERS)																फोटो
2	पता ADDRESS (बड़े अक्षरों में IN BLOCK LETTERS)																Photo
	फोन नं Phone No	'							l		l					I	
3	क्या अनु. जाती/ अनु. जनजाति के हैं Whether belong to SC/ST				3 6				मान्य NERAL								
4	किसान के पास कुल कितनी भूमि है Total land possessed				एकड़ में हिक्टर में In In Acre Ha.												
5	क्या आवेदक भूमि का मालिक है Whether the applicant is the owner of land								,				•				
6	नारियल पेड़ों की संख्या Number of coconut palms					फलनेवाले न फलनेवाले Bearing Non-bearing											
	लाभभोगी के पास कित No. of cattle/livestock p					,								Į.			
7	एफपीओ (सीपीएस/ सी जिसमें आवेदक सदस्य है Organizations (FPO) (C Societies [CPS] / Fede [CPC]) in which the app	पीएफ है Coconu rations	/ सीर्प Farme t Prode [CPF]	सी) er Pro ucers /Cor	क oduc s npar	ा नाम er	1										
8	बैंक खाता सं Bank	accou	nt No														

आवेदक के साथ इकाई का फोटो (पोस्ट कार्ड आकार)

राशन कार्ड /वॉटर आईडी/ पासपोर्ट सं Ration card / Voters ID card / Passport No

Photo of the unit along with applicant (POST CARD SIZE)

10		जैव खाद इकाई के ब्योरे DETAILS OF ORGANIC MANURE UNIT							
	क a	इकाई का आकार (टंकी / कोन्क्रीट फर्श) Size of the Unit (Tank / Concrete floor)							
	o छ	आवेदक द्वारा स्थापित इकाईयों की संख्या No. of the units established by the applicant							
	т с	उत्पादन क्षमता प्रति इकाई/वर्ष Production capacity per unit / year	टन Tons						
	घ d	सारी इकाईयों की कुल उत्पादन क्षमता/वर्ष Total production capacity of all units / year	ਟਜ Tons						
11		इकाई के निर्धारित एवं अनुरक्षण लागत के लिए उठाए गए खर्च के ब्योरे/ वर्ष DETAILS OF EXPENDITURE INCURRED AS FIXED AND MAINTENANCE COST OF UNIT / YEAR							
		अनावर्ती NON	RECURRING						
	क a	निर्माण कार्य (टंकी/ कोन्क्रीट फर्श आदि) Construction (Tank / Concrete floor etc.)	্চRs.						
	ख b	शेड / छत का निर्माण Construction of Shed / roof	্কRs.						
	ग c	कोई अन्य मद (विनिर्दिष्ट करें) Any Other Item (Specify)	₹Rs.						
	घ d	कुल Total	रुRs.						
12	आ	आवर्ती RECURRING							
	क a	कृषि अवशिष्टों/ गूदे की लागत Cost of Agricultural waste / Pith	₹Rs.						
	ख b	आहाते खाद की लागत Cost of farm yard manure	रु Rs.						
	ग c	सडाव कल्चर/ केंचुए की लागत Cost of decomposing culture / earthworm	रु Rs.						
	घ d	यूरिया की लागत Cost of Urea	रु Rs.						
	량 e	श्रम लागत Labour Cost	₹Rs.						
	च f	पैंकेजिंग / भंडारण Packaging / Storage	रु Rs.						
	छ g	इकाई की अनुरक्षण लागत Maintenance cost of the Unit	रु Rs.						
	ज h	कोई अन्य मद (विनिर्दिष्ट करें) Any Other Item (Specify)	रु Rs.						
		कुल TOTAL	रु Rs.						

आवेदक की घोषणा DECLARATION OF THE APPLICANT

मैं , सुपुत्र /सुपुत्री / प	ाती
(पत्ता)	
एतद्वारा घोषित करता हूँ	कि
उपरोक्त सूचना सत्य एवं सही है और मैं वित्तीय सहायता पाने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्ते	एवं
नेबंधनों का पालन करूँगा । मैं ने प्रति वर्ष टन उत्पादन क्षमता वाली जैव खाद इकाई की स्थाप	ाना
p लिए वास्तविक व्यय के रूप में रु	
मात्र) (आवर्ती एवं गैर अनावर्ती) खर्च किया	है।
I,	V/o
(address)	
hereby declare that the information furnish	ıed
bove is true and correct and I shall abide by the terms and conditions prescribed by the Coconut Development Bo	ard
or availing the financial assistance. I have incurred an amount of Rs (Rupees	
only) as actual expenditure (Recurring and Non-Recurring	ng)
or establishing the Organic Manure Production Unit with a production capacity of tonnes per year.	
थान Place:	
गरीख Date: आवेदक का हस्ताक्षर Signature of the applicant	

प्रमाणपत्र CERTIFICATE

(राज्य सरकार के कृषि अधिकारी या बोर्ड के तकनीकी अधिकारी का प्रमाणपत्र) Certificate of the Agricultural Officer of the State Department / Technical Officer of the Board)

मैं श्री/ श्रीमती	ने जैव खाद उत्पादन इकाई का
निरीक्षण किया है तथा आवेदक नेटन प्रति वर्ष र	उत्पादन क्षमता वाली जैव खाद उत्पादन इकाई के निर्धारित
एवं अनुरक्षण लागत के लिए रु (रुपए	
मात्र) उ	खर्च किया है।
I,	belief the applicant has incurred a total amount of Rs
स्थान Place : तारीख Date :	
कार्यालय मोहर Office Seal	हस्ताक्षर Signature अधिकारी का नाम एवं पदनाम Name & Designation of the Officer
मात्र कार्यालय उपयोग के	लिए For Office use only
सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी Verifying officer's remarks	
अधिक	हस्ताक्षर Signature ारी का नाम एवं पदनाम Name & Designation of the Officer
मंजूर करने वाले प्राधिकारी का आदेश Order of sanctioning a	authority
Sanctioned Rs(रुपए Rupees	

अध्यक्ष Chairman नारियल विकास बोर्ड Coconut Development Board

जैव खाद इकाइयाँ Organic Manure Units

योग्यता Eligibility

किसान सिमतियाँ, स्वायत्त संगठन और निजी किसान जिनके पास इकाई स्थापित करने के लिए उपयुक्त ज़मीन है

Farmers' Societies, Voluntary Organizations and individual farmers having suitable land for establishing the unit.

बोर्ड द्वारा सीधे कार्यान्वयन के मामले में , आवेदक या तो किसान उत्पादक संगठन या किसान उत्पादक संगठन के सदस्य होना चाहिए। In the case of direct implementation by Board, applicant shall be Farmer Producer Organizations (FPOs) /a member of FPOs

तकनीकी ब्योरे Technical details

केंचुआ कंपोस्ट इकाई या कयर गूदा कंपोस्ट इकाई के लिए माप निम्नप्रकार होना चाहिए The dimension of the Vermi Compost Unit/Coir Pith Compost Unit is also prescribed as given below:

	इकाई Unit	माप Dimension	वॉल्यूम Volume	उत्पादन क्षमता Production Capacity		
क a)	केंचुआ कंपोस्ट इकाई Vermi Compost Unit	(टंकी Tank)				
	न्यूनतम Minimum	15' x 5' x 2' (4.572 मी m x 1.524 मी m x 0.6096 मी m)	150 घन फीट cubic ft / 4.247 मीm3	चार दौर में प्रतिवर्ष 10 टन/ वर्ष 10 Tones/year in 4 cycles		
	अधिकतम Maximum	60' x 8' x 2.5' (18.288 मी m x 2.4384 मी m x 0.762 मी m)	1200 घन फीट cubic ft / 33.98	चार दौर में प्रतिवर्ष 80		
		या OR	ि पाति । (/ 33.98 मी m3	टन/ वर्ष 80Tones/year in 4 cycles		
		30' x 8' x 2.5' (विभागीकरण दीवार के साथ 2 सं 2 Nos. with partition wall)				
ख b)	कयर गूदा कंपोस्ट इकाई Coir Pith Compost Unit	(कोन्क्रीट फर्श Concrete Floor)				
	न्यूनतम Minimum	5मीm x 3मीm (5 संNos.)	-	चार दौर में 10 टन / वर्ष 10 Tones / year in 4 cycles		
	अधिकतम Maximum	5 मी m x 3 मीm (40 सं Nos.)	-	चार दौर में 80 टन / वर्ष 80 Tones /year in 4 cycles		

(इकाई के लिए सुविधाजनक आकार का शेड भी आवश्यक है A Shed of convenient size is also required for the Unit)

ল Quantum of financial assistance

इकाइ की शतप्रतिशत कुल अवसंरचना लागत के लिए अधिकतम एकमुश्त सहायता 60,000 रुपए होगी। वित्तीय सहायता नियामक लागत के आधार पर परिकलित आकार एवं उत्पादन क्षमता के अनुपात में होना चाहिए।

The maximum one time assistance for each unit shall be Rs.60,000/- towards 100% of the total infrastructure cost of the unit. Financial assistance should be proportionate to the size and production capacity worked out on the basis of normative cost.

संचालन ब्योरे Operational details

1. यह योजना मुख्य रूप से केंचुआ कंपोस्ट /कयर गूदा खाद के उत्पादन के लिए है तथा राज्य कृषि /बागवानी विभाग द्वारा या बोर्ड द्वारा किसान उत्पादक संगठन या उनके सदस्यों के ज़रिए कार्यान्वित की जाएगी।

The scheme is mainly intended for production of vermicompost/coir pith manure and shall be implemented through State Department of Agriculture/Horticulture or by the Board through Farmer Producer Organizations (FPOs) or members of FPOs.

2. बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सब्सिडी के लिए आवेदन देना चाहिए और आवेदन वाउचर बिल आदि संगत दस्तावेज़ों के साथ बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहिए।

The application for subsidy shall be made in the form prescribed by the Board and the same shall be submitted to the Board along with relevant documents like vouchers, bills, etc.

3. बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा प्राथमिक निरीक्षण किया जाएगा तथा इकाई स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाएगा। (यह बोर्ड द्वारा सीधे कार्यान्वयन के लिए ही लागू है) । कार्य पूरा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय सहायता दी जाएगी।

The preliminary inspection will be undertaken by the Board officials and administrative approval will be issued for establishing the unit. (This applies only for direct implementation by the Board unit offices). The financial assistance will be released only after the completion of the work and on submission of the complete report.

- 4. लाभभोगी किसान केंचुआ कंपोस्ट /कयर गूदा कंपोस्ट निर्माण के लिए निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार ही जैव खाद का उत्पादन करेंगे। बाद के रखरखाव के खर्च लाभभोगी किसान खुद करेंगे। The beneficiary shall produce organic manure as per the laid down procedure for vermicompost/coir pith compost. Subsequent maintenance shall be done by the beneficiary at his/her own cost.
- 5. कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् बागवानी / कृषि विभाग उत्पादन क्षमता आदि के साथ लाभभोगियों की सूची प्रदान करेंगे।

The implementing agency i.e. Department of Horticulture/ Agriculture should furnish the list of beneficiaries along with production capacity, etc.

6. प्रबीउ फार्मों में योजाना का कार्यान्वयन बोर्ड द्वारा सीधे ही किए जाएंगे।

The scheme shall also be directly implemented by the Board in the DSP Farms.

दस्तावेज़ जो संलग्न करना चाहिए Documents to be attached

1. उठाए गए व्यय के लिए बिल / वाउचर तथा व्यय विवरण

Bills/ vouchers for the expenditure incurred and the expenditure statement.

2. संबंधित कृषि अधिकारी से इस प्रभाव में प्रमाणपत्र कि इकाइ के लिए कोइ अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया गया है। Certificate from the concerned Agricultural Officer that no other subsidy has been availed for the unit.